

**Participation of private sector in
Defence production**

2061. SHRI SURESH KALMADI:
SHRI KISHOR MEHTA:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering any blue-print for the participation of private sector in defence production; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF DEFENCE PRODUCTION AND SUPPLIES IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) and (b) Keeping in view the budgetary constraints and with a view to optimise use of national resources, the policy of the Government is to increasingly utilise the capacities in the Civil Sector (public and private) and not to set up new capacity in the Defence Sector if capacities already exist or can be economically set up in the Civil sector.

**Shifting of thorium plant from
Bombay**

2062. SHRI SURESH KALMADI:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision to shift the thorium plant from Trombay, Bombay to Orissa;

(b) if so, what are the reasons therefor;

(c) whether Government have taken into consideration the plight of the

labour which will become jobless if the plan is shifted; and

(d) if so, what Government propose to do in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Yes, Sir.

(b) The existing Plant is to be replaced as it has become very old and beyond the scope of economical repair and service. The Atomic Energy Commission has decided to shift out of BARC premises in Trombay, plants and laboratories which are not directly related to the R & D programme of BARC.

(c) and (d) Yes, Sir. The employees who opt to shift to the new location will be transferred, whereas others will be provided alternative employment in other units of DAE located in Bombay. Those who opt to take retirement will be paid due compensation.

बैंकों द्वारा अधिक व्याज लिया जाना

2063. श्री अशोक नाथ वर्मा : क्या प्रधानमंत्री 25 फरवरी, 1986 को राज्य सभा में अंतरांकित प्रश्न 118 के लिए दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) उन छः बैंक अधिकारियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें विरूद्ध मुकदमा दायर किए जाने की अनुमति दी गई तथा उनके विरूद्ध मुकदमा किस तारीख को कहाँ और किस धारा के अधीन दायर किया गया ;

(ख) ये दोषी अधिकारी किस तारीख को निलम्बित किए गए; और

(ग) क्या यह सच है कि बोरिंग पम्प सेट घोटाले में अन्तर्गस्त अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)से(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पटना में 3 मामले रजिस्टर किए

हैं। इन मामलों के ब्योरे और इन मामलों में अभियुक्त बैंक अधिकारियों के नाम नीचे दिए गए हैं :-

आर०सी०संख्या पंजीकरण की तारीख आदि	अभियुक्तों के नाम	चार्ज शीट दायर करने की तारीख
आर०सी 35/81-पटना दिनांक 31-7-1981 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख 418 420, 471, 477-क और धारा 5(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5(1) (ग) (घ) के अन्तर्गत	श्री बी०एन० सिन्हा श्री डी०एन० झा	31-3-1984
आर०सी 55/81-पटना दिनांक 30-12-1981 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख 418, 420, 468, 471, 477-क और धारा 5(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5(1)(घ)	श्री बी०बी० राय	31-12-1984
आर०सी 40/82-पटना दिनांक 30-12-82 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख 418, 420, 467 471, 477-क और धारा 5(2) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 5(1)(घ)	श्री एस०के० चौधरी श्री आर० ठाकुर श्री विजय कुमार	7-8-1985

उपरोक्त 6 अधिकारियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित 4 अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है :-

अधिकारी का नाम	निलम्बन की तारीख	टिप्पणी
1. श्री बी० एन० सिन्हा	23-4-81	
2. श्री डी० एन० झा	23-4-81	सेवा से बर्खास्त
3. श्री बी० बी० राय	10-4-82	11-6-84 से निलम्बन आदेश रद्द कर दिया गया
4. श्री एस० के० चौधरी	-22-2-83	